कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–6/राज. विज्ञान/स्थानान्तरण/2020–21/1–805 दिनांक–04.01.2021 के द्वारा श्रीमती सीमा शर्मा व्याख्याता, राजनीति विज्ञान राउमावि तामडिया, जयपुर का स्थानांतरण राउमावि पाटन, सिकराय, दौसा किया गया। सीमा शर्मा ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 758/2021 सीमा शर्मा बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की।

अपील संख्या 758/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.01.2021 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक अख्यात्मक आदेश **(Speaking Oreder)** प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को दिये जाने के आदेश प्रदान किये हैं।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी सीमा शर्मा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्थानान्तरित स्थान पर आवागमन की सुविधा उपलब्ध नहीं होने, अपने पुत्र के ह्दय रोग **(T.O.F.)** की बीमारी से ग्रसित होने, प्रतिकुल पारिवारिक परिस्थियों के आधार पर अपना पदस्थापन/समायोजन राबाउमावि मालपुरा, टोंक अथवा राउमावि वाटिका, जयपुर की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का गहनता से परीक्षण व मनन किया गया। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। यह विधि सुस्थापित सिद्वांत है कि किसी भी लोक सेवक द्वारा अपने इच्छित पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। अपीलार्थी द्वारा परस्थापन हेतु चाहे गए स्थान पर अन्य कार्मिक के कार्यरत होने के कारण व्याख्याता राजनीति विज्ञान का पद रिक्त नहीं है। उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर
दिनांक:–18/02/2021

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–6/अभ्यावेदन/ अ. 758/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1.संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग ....।
2.संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा..........................।
3.मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा ....।
4.जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर.................................।
5.विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6.सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7.संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि/राबाउमावि ....।
8.गार्ड पंजिका।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)